

कॉन्सटेबल भर्ती वर्ष-2017 हेतु विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा 5500 कॉन्सटेबलों की भर्ती की स्वीकृति के क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में कॉन्सटेबल सामान्य, कॉन्सटेबल चालक एवं कॉन्सटेबल ऑपरेटर के लिए 5390 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र (online) राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 23.10.2017 से भरे जा सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती हेतु उक्त 5500 पदों की 2 प्रतिशत रिक्तियां (कुल 110 पद) पृथक से विज्ञापित की जावेगी।

भर्ती हेतु रिक्त स्थानों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 11/2017 दिनांक 04.10.2017 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

1. आवेदन प्रक्रिया :-

- (क) भर्ती हेतु आवेदन 'online application form' में लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन-सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/ होना आवश्यक होगा।
- (ख) किसी भी आवेदक द्वारा 'online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है :-
- स्वयं के स्तर पर:-**यदि समुचित साधन, यथा इन्टरनेट सुविधायुक्त डेस्कटॉप/ लैपटॉप उपलब्ध हो तो, अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से विभाग की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट-बैंकिंग या डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।
 - राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से:-**किसी आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने व परीक्षा शुल्क जमा कराने की स्थिति में उसे रुपये 26/- की राशि संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।
- (ग) हाथ से भरे गये आवेदन-पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- (घ) परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल नकद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी।
- (ङ) आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित परीक्षा शुल्क राज्य के अधिकृत ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा करावेगा। परीक्षा शुल्क नकद जमा करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि एवं जिला/यूनिट/बटालियन सम्बन्धी सूचना जिसमें वह आवेदन कर रहा है ई-मित्र/ जनसुविधा केन्द्र पर उपलब्ध निःशुल्क निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा हो गया है।
- (च) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 50 kb) स्कैन हेतु, ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें।

फोटो उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर अभ्यर्थी के लिए वैब-कैमरे से फोटो खींचने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए आवेदक को रुपये 5/- अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

नोट:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा।
- (2) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश (instruction) एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी पृष्ठियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी पृष्ठियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं।
- (3) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (4) online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (5) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

2. आवेदन-पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। विभाग को विशेष परिस्थितियों में इनमें किसी भी दिनांक में संशोधन करने का अधिकार होगा।

3. परीक्षा शुल्क-

- | | |
|---|---------------|
| (क) सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु | - रुपये 400/- |
| (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु | - रुपये 350/- |
- (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)

नोट - ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 26/- ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र पर अतिरिक्त रूप से आवेदकों को देना होगा।

- 2- अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों को शुल्क रुपये 400/- देय होगा।

4. लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग करेंगे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

5. भर्ती हेतु रिक्त पद

जिला/यूनिट/बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है, जो निम्नानुसार है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए पृथक से विज्ञापित जारी नहीं की जावेगी।

क-(i)कॉन्सटेबल सामान्य

क्र.सं.	जिला/यूनिट/बटालियन	एससी	एसटी	ओबीसी	सहरिया	सामान्य	योग
1	आयुक्तालय, जयपुर	98	0	82	0	212	392
2	आयुक्तालय, जोधपुर	39	39	41	0	77	196
3	जिला अलवर	31	0	20	0	47	98
4	जिला जयपुर ग्रामीण	20	0	16	0	42	78
5	जिला दौसा	23	0	12	0	24	59
6	जिला सीकर	13	21	10	0	5	49
7	जिला झुंझुनू	17	25	7	0	0	49
8	जिला सवाई माधोपुर	49	0	25	0	48	122
9	जिला करौली	26	0	20	0	52	98
10	जिला भरतपुर	32	27	14	0	0	73
11	जिला अजमेर	59	55	57	0	103	274
12	जिला भीलवाडा	35	42	35	0	59	171
13	जिला टोंक	7	0	11	0	36	54
14	जिला उदयपुर एनटीएसपी	43	43	33	0	40	159
15	जिला चित्तौड़गढ़	13	21	20	0	44	98
16	जिला राजसमन्द	18	19	20	0	41	98
17	जिला पाली	18	26	26	0	57	127
18	जिला जैसलमेर	5	29	18	0	36	88
19	जिला जालौर	4	14	16	0	44	78
20	जिला बाडमेर	16	19	16	0	27	78
21	जिला सिरोही एनटीएसपी	1	8	6	0	14	29
22	जिला जोधपुर ग्रामीण	14	19	10	0	6	49
23	जिला कोटा शहर	21	25	41	0	109	196
24	जिला कोटा ग्रामीण	19	14	20	0	45	98
25	जिला बांरा	8	12	9	0	69	98
26	जिला बून्दी	15	6	20	0	57	98
27	जिला झालावाड	7	7	20	0	64	98
28	जिला बीकानेर	51	42	46	0	81	220
29	जिला श्रीगंगानगर	24	41	41	0	90	196
30	जिला हनुमानगढ़	10	25	20	0	43	98
31	जिला चुरू	16	24	14	0	15	69
32	इन्टेलिजेंस राजस्थान जयपुर	11	24	15	0	23	73
33	महाराणा प्रताप बटालियन (आईआर) प्रतापगढ़ (पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर)	4	3	5	0	13	25
34	जीआरपी अजमेर	35	0	33	0	89	157
35	जीआरपी जोधपुर	8	13	8	0	10	39
36	द्वितीय बटा. आरएसी कोटा	0	0	10	0	39	49
37	छठी बटा. आरएसी, धौलपुर	17	0	20	0	61	98
38	महाराणा प्रताप बटालियन (आईआर)प्रतापगढ़	90	68	117	0	280	555
	योग	917	711	954	0	2102	4684

क-(ii)कॉन्सटेबल सामान्य (टीएसपी/सहरिया क्षेत्र)

क.सं.	जिला/यूनिट/बटालियन	एससी	एसटी	ओबीसी	सहरिया	सामान्य	योग
1	जिला उदयपुर	2	47	0	0	10	59
2	जिला सिरोही	0	13	0	0	7	20
3	जिला डूंगरपुर	7	0	0	0	66	73
4	जिला बांसवाडा	10	3	0	0	60	73
5	जिला प्रतापगढ़	16	10	0	0	23	49
6	एमबीसी खैरवाडा	0	16	0	0	57	73
7	महाराणा प्रताप बटालियन, (आईआर)प्रतापगढ़(टीएसपी)	2	24	0	0	27	53
8*	महाराणा प्रताप बटालियन, (आईआर)प्रतापगढ़(सहरिया)	0	0	0	2	0	2
	योग	37	113	0	2	250	402

ख-कॉन्सटेबल चालक (सामान्य क्षेत्र)

क.सं.	जिला/यूनिट/बटालियन	एससी	एसटी	ओबीसी	सहरिया	सामान्य	योग
1	आयुक्तालय, जयपुर	10	3	0	0	0	13
2	जिला अजमेर	7	7	5	0	6	25
3	जिला भीलवाडा	7	3	0	0	0	10
4	जिला पाली	7	2	1	0	0	10
5	जिला जैसलमेर	2	7	3	0	3	15
6	जिला बाडमेर	2	6	2	0	0	10
7	जिला जोधपुर ग्रामीण	6	4	0	0	0	10
8	जिला कोटा ग्रामीण	5	1	2	0	2	10
9	जिला बांस	0	1	1	13	5	20
10	जिला झालावाड	5	4	1	0	0	10
11	जिला श्रीगंगानगर	4	3	5	0	12	24
12	इन्टेलिजेंस राजस्थान जयपुर	6	1	2	0	4	13
13	जीआरपी अजमेर	1	0	2	0	7	10
14	11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली	4	3	2	0	1	10
15	12वीं बटालियन आरएसी दिल्ली	2	2	2	0	4	10
16	राज्य आपदा प्रतिसाद बल,जयपुर	8	6	10	0	28	52
17	महाराणा प्रताप बटालियन (आईआर) प्रतापगढ़	8	6	10	0	28	52
	योग	84	59	48	13	100	304

नोट:- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(20)कार्मिक/क-2/01/पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया (जिला बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण देय नहीं है) ट्राईबल सब प्लान एरिया के पद कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.16 में वर्णित प्रावधानानुसार भरे जायेंगे।

6. आरक्षण

(क) महिलाओं के लिए:-

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2) डीओपी/ए-2/ 88/पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

किसी वर्ग-विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण- विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

किसी वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/सहरिया) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/सहरिया) का होगा उसी वर्ग के पदों से समायोजित किया जावेगा।

• राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम, 1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्त बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्त को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्त आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्त जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रणीत की जाएगी, तदुपरान्त प्रश्नास्पद रिक्त अनारक्षित मानी जाएगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प-5(18)कार्मिक/क-2/84/पार्ट दिनांक 16.08.16 में वर्णितानुसार किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति खो देगा और वह केवल लोकसेवक के रूप में ही माना जावेगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण- भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:-

(i) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।

(ii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका-क(ii) में अंकित है।

(iii) कार्मिक विभाग के निर्देश क्रमांक प-13(20) क-2/91/पार्ट दिनांक 21.05.13 के अनुसार जिला बांरा की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 25 प्रतिशत रिक्तियां जिले के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से भरी जायेगी शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति से 8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ी जाति से 10 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग से 51 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

(ड) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए:-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-5(31)कार्मिक/क-2/84/ दिनांक 15.03.13 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम 7-सी के प्रावधानानुसार विज्ञापित कुल 5500 पदों के 2 प्रतिशत रिक्तियां (कुल 110 पद) पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती हेतु पृथक से विज्ञापित जारी की जावेगी।

(च) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

7 वेतनमान और पेंशन

नियुक्त के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 8910/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् नियमानुसार कॉन्सटेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला 5200-20200 (ग्रेड पे-2400) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्सटेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्सटेबल सामान्य एवं चालक)

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस/इन्टेलीजेंस	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या दसवी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
आर.ए.सी. बटालियन/ महाराणा प्रताप बटालियन	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवी कक्षा उत्तीर्ण
महाराणा प्रताप बटालियन पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर	भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हायर सैकण्डरी विज्ञान मय भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष (10+2)घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।

(iv) कॉन्सटेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञापित जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(iv) आयु सीमा-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या, एफ-7(2)डीओपी/ए-2/84-पार्ट दिनांक 25.06.2004 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2018 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

कॉन्सटेबल सामान्य/ऑपरेटर के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2000	02.01.95	02.01.90
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्ग	01.01.2000	02.01.90	02.01.85
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2000	02.01.92	02.01.87
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2000	02.01.76	02.01.76

कॉन्सटेबल चालक के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2000	02.01.92	02.01.87
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. वर्ग	01.01.2000	02.01.87	02.01.82
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2000	02.01.89	02.01.84
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2000	02.01.76	02.01.76

(v) शारीरिक मापदण्ड-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बारा जिले के सहरिया अदिवासियों के लिए मापदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए-81से.मी. फुलाने पर-86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए-74से.मी. फुलाने पर-79से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट-

a. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।

b- पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र (दोनों शर्तें अनिवार्य) के अभ्यर्थियों के लिए नियम-14(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।

(vi) चिकित्सकीय मापदण्ड

- a अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।
b अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
c अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भैगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) या अन्य कोई विकृति जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

9. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
(ii) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानी जावेगी। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
(iii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्व प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

- (iv) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वाञ्छनीय होगा।
(v) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)
(vi) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।
(vii) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डिबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित(डिबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
(viii) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1300 दिनांक 28.03.17 में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
(ix) कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।

10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

परीक्षा का चरण	कानि.सामान्य/ऑपरेटर	कानि. ड्राईवर
लिखित परीक्षा	75	75
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100

(i) लिखित परीक्षा-

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कम्प्यूटर आधारित होगी। लिखित परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी तथा न ही कोई आपत्ति स्वीकार होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का भाग 'अ' 'विवेचना एवं तार्किक योग्यता' के प्रश्नों से सम्बन्धित 30 अंक का, भाग 'ब' सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 15 अंक का तथा भाग 'स' 'राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि विषयों पर आधारित 30 अंक का होगा।

इस परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत तथा ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं बारों जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए उत्तीर्णांक 25 प्रतिशत प्रत्येक भाग में अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

भाग 'अ' के प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होगा तथा इसके किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर ¼ अंक काटा जायेगा। भाग 'ब' एवं 'स' के प्रत्येक सही प्रश्न का उत्तर देने पर ½ अंक प्राप्त होगा। इनके किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर का ¼ अंक काटा जाएगा।

लिखित परीक्षा की सूचना एवं परिणाम वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/ यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

(ii) शारीरिक मापतौल -

सम्बन्धित जिला/बटालियन की वर्गवार रिक्तियों के विरुद्ध लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक माप-तौल व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु संबंधित जिला/ यूनिट द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तौल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी।

अपील-शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी चयन बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति उसी दिन पूर्ण की जावेगी।

नोट-अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मापतौल में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा। महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती हैं उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पृथक से कोई प्रावधान/अतिरिक्त अवसर उपलब्ध नहीं होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड/अंक निम्नानुसार है:-

1-कॉन्स्टेबल सामान्य

पद	दूरी	समय	अंक
पुरुषों के लिए	05 किमी.	20 मिनट एवं 20 मिनट से कम	15
		20 मिनट से अधिक एवं 22 मिनट तक	10
		22 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक	5
महिलाओं के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	15
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5
भूतपूर्व सैनिकों के लिए	05 किमी.	25 मिनट एवं 25 मिनट से कम	15
		25 मिनट से अधिक एवं 26.30 मिनट तक	10
		26.30 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	5
सहरिया एवं टीएसपी क्षेत्र के एसी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	15
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5

2-कॉन्स्टेबल चालक

पद	दूरी	समय	अंक
पुरुषों के लिए	05 किमी.	20 मिनट एवं 20 मिनट से कम	10
		20 मिनट से अधिक एवं 22 मिनट तक	7
		22 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक	5
महिलाओं के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5
भूतपूर्व सैनिकों के लिए	05 किमी.	25 मिनट एवं 25 मिनट से कम	10
		25 मिनट से अधिक एवं 26.30 मिनट तक	7
		26.30 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	5
सहरिया एवं टीएसपी क्षेत्र के एसी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5

सहरिया एवं ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र की अनु.जाति/अनुजनजाति की महिला अभ्यर्थियों की दौड़ का मापदण्ड वही होगा जो उपरोक्त तालिका में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है।

नोट-

- 1- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अंश में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

(iv) दक्षता परीक्षा (कॉन्सटेबल ड्राइवर के लिए)-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कानि. ड्राइवर पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अनुरूप ही होंगे। कानि. ड्राइवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या 11/2017 के पार्ट-3 बिन्दू संख्या-(A)-(i) में अंकित है। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे।

(v) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक-

कॉन्सटेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (कुल अंक 10) प्रदान किये जायेंगे:-

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	5
2	बी- प्रमाण पत्र	3
3	ए- प्रमाण पत्र	2

(एन.सी.सी. के लिए अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे)

होमगार्ड

क्र. सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 5 वर्ष तक सेवा देने पर	5
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	4
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	2

(होमगार्ड के लिए अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे)

(vi) चयन सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या दक्षता परीक्षा) के अंकों का योग 45 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए, 40 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए तथा 35 प्रतिशत ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनु.जनजाति निवासियों के लिए एवं बारों जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए उत्तीर्णक 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने पर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता क्रम में चयन सूची तैयार की जावेगी। अभ्यर्थियों की चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी।

(vii) स्वास्थ्य परीक्षण-

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील-उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(viii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस, विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. प्रमाण पत्र-

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वप्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-


- (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- (iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- (iv) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (v) आवेदक यदि मृतक पुलिस कर्मी का आश्रित है तो मृतक पुलिस कर्मी, जिसकी कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु हुई हो, उसके आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (vii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र ।
- (viii) टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- (ix) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 सेमी.) फोटो।
- (x) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- (xi) कॉन्सटेबल ड्राइवर हेतु स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/HMV) की मूल प्रति।
- (xii) एनसीसी, राजस्थान होमगार्ड के प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

12. महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) आवेदक को एक ही आवेदन पत्र भरना चाहिए। यदि आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरेगा तो उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रथम बार भरा गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित सैक्शन (i), (iii) व (iv) में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई.आर बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।
- (iii) जिस जिला/बटालियन/यूनिट में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त है उन्हीं के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार्य होंगे।
- (iv) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- (v) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (vi) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

- (vi) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (vii) आवेदन पत्र में आधार नम्बर अंकित किया जावे ।
- (viii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (ix) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है।
- (x) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (xi) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी का जा सकती है ।
- (xii) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 11 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- (xiii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण अंकों की पुनर्गणना अथवा उत्तर-पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ivx) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थायी आदेश संख्या-11/2017 एवं विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (xv) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 9076569675 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे।



(सुनील दत्त)

महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा/कारागार, राज. जयपुर।
- 2 समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
- 4 समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 5 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

- 6 उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।
- 7 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
- 8 समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी. खैरवाडा/हाडीरानी महिला बटालियन नारेली, अजमेर।
- 9 समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राईविंग स्कूल, बीकानेर।
- 10 संयुक्त शासन सचिव, गृह (गुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान, जयपुर
- 12 निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 13 सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 14 प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।


महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।